





आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
19/5/18	<p style="text-align: center;">न्यायालय, आरबिट्रेटर सह अपर समाहर्ता, पटना विवाचन वाद सं० 19/2013-14 रामेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार व अन्य</p> <p>प्रस्तुत वाद की कार्यवाही दिनांक 25.09.2013 को रामेश्वर प्रसाद सिंह, पिता-स्व० राम प्रगास सिंह, सा०-जगमालबिगहा, थाना-खुसरूपुर, जिला-पटना द्वारा दाखिल विवाचन वाद दायर करने सम्बन्धित आवेदन के आलोक में दिनांक 01.10.2013 को वाद कि कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सम्बन्धित पक्षों को सूचना निर्गत की गई।</p> <p>प्रस्तुत वाद परियोजना NH-30 पटना बख्तियारपुर फोरलेन खण्ड के निर्माण हेतु LA वाद सं० 71/11-12 द्वारा अर्जित मौजा-हरदास बिगहा, थाना नं०-126, पंचाट सं०-22, खाता-426, खेसरा सं०-2019, रकवा-0.100116 एकड़ में भू-अर्जन की कार्यवाही से संबंधित है, जिसमें भू-अर्जन की कार्यवाही निम्न प्रकार से हुई है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NH Act की धारा 3A के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि -18.06.10 2. NH Act की धारा 3D के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि -03.03.11 3. अधियाची विभाग को दखल कब्जा की तिथि- 30.07.11 <p>वादी द्वारा लाये गये वाद के माध्यम से मूल रूप में अपना दावा प्रस्तुत करते हुए दावा किया गया है कि उनकी भूमि का मुआवजा कम से कम 5 लाख रुपये प्रति कठ्ठा कि दर से मिलना चाहिए, साथ ही निर्धारित दावा पर 60% सोलेशियम राशि, जो उन्हें नहीं दी गई है, के भी भुगतान का दावा किया गया है।</p> <p>वादी के द्वारा किये गये उपरोक्त दावों के संबंध में परियोजना निदेशक, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण PIU, Patna, D-63 कृष्णापुरी के</p>	



आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>द्वारा अपने पक्षों को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि मुआवजा भुगतान हेतु दर का निर्धारण NH Act 1956 कि धारा 3(A) एवं 3(D) में प्रकाशित भूमि कि प्रकृति एवं अधिसूचना प्रकाशन के समय अर्जनाधीन स्थल के वास्तविक स्थिति के आधार पर सक्षम प्राधिकारी सह जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा की गयी है। परियोजना निदेशक द्वारा वादी द्वारा लाए गये वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।</p> <p>वादी के दावा के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी सह जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि अर्जनाधीन भूमि का NHA से प्राप्त अधियाचना के आलोक में भू-अर्जन की कार्रवाई करते हुए NH Act 1956 कि धारा 3(A) एवं 3(D) के तहत भारत के राजपत्र में गजट Notification कि कार्रवाई की गयी है। दर निर्धारण के क्रम में अधिसूचना प्रकाशन से तीन वर्ष पूर्व तक का बिक्री आंकड़ा एवं अधिसूचना कि तिथि पर प्रभावी MVR प्राप्त की गयी है। प्राप्त बिक्री आंकड़ा में निर्धारित अवधि में 16 बिक्री आंकड़ा प्राप्त हुआ, जिसमे 13, कृषि भूमि के लिये ही निबंधित हुआ था। साथ ही अर्जनाधीन भूमि का खतियान में भी स्वरूप भीठ दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि अर्जित भूमि की प्रकृति कृषि ही है। साथ ही दर निर्धारण से पूर्व खानापुुरी एवं स्थल निरीक्षण कि कार्रवाई की जाती है तथा अर्जित की जा रही भूमि का दर निर्धारण उसके उस वक्त के वास्तविक स्वरूप के आधार पर किया जाता है। उक्त आलोक में ही उस वक्त स्थल पर कृषि कार्य हो रहे होने के फलस्वरूप अर्जित भूमि कि प्रकृति कृषि मानकर दर निर्धारण कि कार्यवाई की गयी। साथ ही सक्षम प्राधिकारी की ओर से कहा गया, कि अधिसूचना प्रकाशन कि तिथि 18.06.2010 से 21 दिनों के भीतर जिन रैयतों द्वारा स्वेच्छा से भूमि देने का सपथ पत्र दाखिल किया गया है उन्हें 60% तथा जिन रैयतों द्वारा ससमय स्वेच्छा शपथ पत्र दाखिल नहीं की गयी उन्हें 30% सोलेशियम राशि के साथ मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। वादी द्वारा लाये गये</p>	



आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>विवाचन वाद हेतु समर्पित दावा पत्र के साथ संलग्न स्वेच्छा शपथ पत्र सं० 1456 दिनांक 04.02.2011 को नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत किया गया है, जो समय सीमा के बाद का है। फलस्वरूप उस वक्त कृषि भूमि के लिए विषयगत परियोजना हेतु निर्धारित दर 6,90,000.00 प्रति एकड़ कि दर पर नियमानुसार 50% जोड़कर 10,35,000.00 प्रति एकड़ कि दर से 30% सोलेशियम एवं 13.41% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के साथ वादी को खाता-संख्या 426, खेसरा संख्या-2109, रकवा 0.100116 का 100% मुआवजा राशि मो० 1,48,601.52 रूपया मात्र का दिनांक 27.12.2012 को वादी को भुगतान कर दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी की ओर से आगे कहा गया कि वादी को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाई की जा चुकी है। फलतः उनका दावा, जो मुआवजा राशि प्राप्त करने के 09-10 माह बाद ^{मामा} लगाया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है।</p> <p>चूँकि वादी यह साबित नहीं कर पाये है कि अर्जित भूमि का उपयोग आवासीय या व्यवसायिक रूप में भू-अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व की जा रही थी, फलतः मुआवजा भुगतान हेतु निर्धारित दर पर उनका आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही वादी स्वेच्छा शपथ पत्र भी जिला भू-अर्जन कार्यालय में निर्धारित अवधि अन्तर्गत समर्पित किये हों, यह भी प्रमाणित नहीं कर पाये है।</p> <p>अतः उपरोक्त परिस्थिति में वादी के दोनो दावे को अस्वीकार करते हुए वाद कि कार्यवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> 19/5/18 आरबीट्रेटर सह अपर समाहर्ता पटना।</p> <p> 19/5/18 आरबीट्रेटर सह अपर समाहर्ता पटना।</p>	

